UPLK010017662024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सेशन्स केस सं0 230/2024

सरकार **बनाम** कैफी उर्फ सैफ

अ0सं0 198/2023
धारा–363,366,504,506 भा0द0सं0
धारा 3(2)**V** एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–मलिहाबाद, लखनऊ।

05–06–2024

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त कैफी उर्फ सैफ जेरे हिरासत न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूॅ कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 363, 366, 504, 506 भा0द0सं0 धारा 3(2)**V,** एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 20–06–2024 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010017662024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सेशन्स केस सं0 230/2024

सरकार **बनाम** कैफी उर्फ सैफ

अ0सं0 198/2023
धारा–363,366,504,506 भा0द0सं0
धारा 3(2)V एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–मलिहाबाद, लखनऊ।

आरोप

मैं, दिनेश कुमार मिश्र, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त कैफी उर्फ सैफ को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ

प्रथमः यह कि दिनांक 07.12.2023 समय शाम में लगभग 01.00 पी0एम0, थाना मलिहाबाद जिला लखनऊ सीमान्तर्गत ग्राम दुलारमउ से आप अभियुक्त कैफी उर्फ सैफ द्वारा वादी मुकदमा रामपाल की नाबालिग भांजी अलीशा गौतम को उसके विधिपूर्ण संरक्षकता से संरक्षक की सहमति के बिना बहला–फुसलाकर व्यपहरण किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सं0 की धारा–363 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः–यह कि उपरोक्त दिनॉक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त कैफी उर्फ सैफ द्वारा वादी मुकदमा रामपाल की नाबालिग भांजी अलीशा गौतम को अयुक्त संभोग करने के लिए विवश करने के आशय से व्यपहृत किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0द0सं0 की धारा–366 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयःयह कि दिनांक, समय व स्थान अदम तहरीर आपने वादी मुकदमा रामपाल के बहनोई मुन्ना को भद्दी–भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा रामपाल के बहनोई मुन्ना को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचम :यह कि उक्त दिनांक, तिथि व समय पर आप अभियुक्त कैफी उर्फ सैफ द्वारा वादी मुकदमा रामपाल की नाबालिग भांजी अलीशा गौतम (जो अनुसूचित जाति की सदस्या है) से ऐसे ज्ञान व परिस्थितियों में उसके विधिपूर्ण संरकक्षता से संरक्षक की सहमति के बिना अयुक्त संभोग करने के आशय से व्यपहृत किया, जो भारतीय दण्ड संहित के अधीन दस वर्ष की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित

जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)(V) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 05–06–2024 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
J.O. Code UP6085

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(दिनेश कुमार मिश्र)
दिनांकः 05–06–2024 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
J.O. Code UP6085